

मद संख्या XIX (ज)

क्रमांक	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/संबंधित वेब लिंक
XIX(ज)	आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)	शैक्षिक कार्यक्रम	कार्मिकों को प्रतिवर्ष विभिन्न कार्यात्मक और व्यवहारिक आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया जाता है। कार्मिकों को आरटीआई से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है।
		सार्वजनिक प्राधिकरणों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास	
		सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण	
		संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना	आरटीआई प्रकटीकरण की विषय-वस्तु नियमित रूप से अद्यतन की जा रही है।